राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 1(39)परि/स्था/2000/14063 जयपुर,दिनांक:02/07/18

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं कार्मिक (क–4/2) की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 के अनुसरण में निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को राजस्थान परिवहन सेवा में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-trainee) के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तो पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	मेरिट सं0	रोल नं0	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1	90	912969	श्री सज्जन कुमार	20.12.1985	BC,RG	प्रोविजनल

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है :–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06 एवं एफ.14 (1) एफडी/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसूची–4 अनुसार स्थिर पारिश्रमिक रूपये 31100/– देय होगा एवं परिवीक्षा अवधि पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 में पे लेवल–12 44300–140100 (समय–समय पर यथा संशोधित वेतन भत्तों/शर्तों के अध्याधीन) देय होगा।
3. अभ्यर्थी को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
4. अभ्यर्थी की जन्मतिथि वही होगी जो इन्होंने लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा सम्बन्धी आवेदन–पत्रों में अंकित की है तथा जिसे आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के उपरान्त मान्य कर दिया गया है।
5. अभ्यर्थी की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की योग्यता सूची में अंकित वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगी।

Scanned by CamScanner

6. अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन/प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह व संतान की स्थिति आदि के राज्य सरकार के पूर्ण सन्तोषजनक सत्यापन के अधीन होगी तथा यदि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/चरित्रादि के संबंध में भविष्य में कोई सत्यापन सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।

7. इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

8. अभ्यर्थी को, अगर वह विवाहित है, तो उसे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र इस विभाग को कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त विवाह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाया जावेगा।

9. यह नियुक्ति राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 एवं राजस्थान सरकार द्वारा सेवा के सम्बन्ध में बनाये गये समस्त अधिनियम/नियम/उपनियम, अधिसूचनाओं में समय–समय पर संशोधित अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यांधीन रहेगी व इस सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।

10. अभ्यर्थी को उक्त सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, यदि अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण की अवधि में अथवा अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त दो वर्षो की सेवा अवधि में सेवा छोडकर जाता है/त्याग पत्र देता है तो इस अवधि में प्राप्त वेतन तथा उसके प्रशिक्षण काल में प्राप्त की गई राशि की दुगुनी राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। किन्तु इस अवधि में उसे भुगतान की गई यात्रा भत्ते व दैनिक भत्ते की राशि वसूल नहीं की जाएगी। प्रत्याशियों को इस आशय का एक बन्ध–पत्र (बॉण्ड) निर्धारित प्रपत्र में सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निष्पादित करना होगा।

11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

12. उक्त अभ्यर्थी दिनांक 16.07.2018 तक अपनी उपस्थिति परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय, परिवहन भवन, जयपुर में प्रस्तुत करें। यदि अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस के पश्चात् भी अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

new H:/estt/manish g/ letter/ orders

Scanned by CamScanner

क्रमांकः एफ 1(39)परि/स्था/2000/ 14064-77
प्रतिलिपिः–

जयपुर,दिनांकः 02/07/18

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एंव संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
11. सम्बन्धित अधिकारी श्री सज्जन कुमार निवासी गांव सडपुरा, पोस्ट ढाणी बरी, तह. राजगढ जिला चुरू (राजस्थान)।
12. गोपनीय शाखा/ संस्थापन शाखा/ भुगतान शाखा।
13. निजी पत्रावली।
14. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

new H:/estt/manish g/ letter/ orders

Scanned by CamScanner